प्रेस नोट
दिनांक 16.10.2025

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित के खाते से डिडक्ट सम्पूर्ण धनराशि 9,998/- रुपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवाद-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना तरबगंज की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए भूलवश भेजी गई संपूर्ण धनराशि 9,998/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2025 को पीड़ित रविन्द्र यादव द्वारा 1930 पर कॉल करके NCRP पोर्टल पर शिकायत की गई कि उनसे 9,998/- फ्रॉड कॉल के जरिये ठग लिए गये हैं । प्राप्त शिकायत में थाना तरबगंज साइबर हेल्पडेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए आज दिनांक 16.10.2025 को पीड़ित रविन्द्र यादव को उनकी शत प्रतिशत् धनराशि 9,998/- रुपये को पीडित के खाते में वापस करा दी गयी है। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 16.10.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2025 धारा - 126(2), 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 115(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सौरभ पाण्डेय पुत्र दद्दन पाण्डेय को ग्राम पूरे बदल स्थित हनुमान गढी मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2025 को वादी इकरार पुत्र भूरे खां निवासी मोतीगंज थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.9.2025 को वे अपने वाहन से चमडा व्यापारी अन्नू पुत्र तपसी निवासी होसी थाना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा व 02 अन्य लोगों के साथ विशेश्वरगंज बहराइच से आ रहे थे कि प्रा०वि० कैथोली पूरेबदल थाना कौडिया के सामने पहुंचने पर कुछ लोगो द्वारा हाथ देकर गाडी को रोककर करीब 15-20 लोग उन्हें गाडी से नीचे उतार कर अन्नू उपरोक्त को जान से मारने की नियत से लाठी डन्डा व राड आदि से उसके सिर पर मारने लगे जिसके करण वह मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया, वादी व अन्य लोगों द्वारा बीच-बचाव करने पर उन्हे भी मारा पीटकर वहाँ से भाग गये, घायल अन्नू को इलाज हेतु सीएचसी कटरा बाजार ले जाया गया जाहँ से उन्हे लखनऊ रिफर कर दिया गया। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 15.10.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा वांछित आरोपी अभियुक्त सौरभ पाण्डेय पुत्र दद्दन पाण्डेय निवासी ग्राम कैथोली मौजा पूरेबदल थाना कौडिया जनपद गोण्डा को ग्राम पूरे बदल स्थित हनुमान गढी मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सौरभ पाण्डेय पुत्र दद्दन पाण्डेय निवासी ग्राम कैथोली मौजा पूरेबदल थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 226/2025 धारा - 126(2), 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 115(2) बी0एन0एस0 थाना कौड़िया, गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह मय हमराह
02. का0 महेन्द्र पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

अपराध गोष्ठी
दिनांक- 16.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

धनतेरस, दीपावली, भाई दूज व छठ पूजा के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों, यातायात व्यवस्था व सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता रखने हेतु दिये गए निर्देश-

शासन के मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम करने व फीडबैक प्राप्त कर शोहदों पर कार्यवाही के दिए निर्देश-

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को वांछित, वारण्टी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा त्यौहारों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए।

दिनांक **16.10.2025** को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी की गई, जिसका मुख्य विषय आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व छठ पूजा इत्यादि के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी, वांछित, वारण्टी व इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही, अपराधियों के सत्यापन तथा महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा। महोदय द्वारा सर्वप्रथम थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अबतक की गयी तैयारियों के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त की गयी।

तत्पश्चात आगामी त्यौहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व छठ पूजा इत्यादि के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर दंगा निरोधक उपकरणों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किया जाये तथा वहाँ पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की क्रियाशीलता को चेक कर ठीक करा लिया जाये । दीपावली के दृष्टिगत अयोध्या जाने वाले मुख्य मार्गों पर विशेष ध्यान रखते हुए पेट्रोल पंप , होटल, ढाबा, मैरिज लान आदि के संचालकों से वार्ता कर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जाये । सोशल मीडिया सेल विशेष निगरानी रखेंगे किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर यदि कोई विद्वेषपूर्ण, आपत्तिजनक, समाज विरोधी, अराजक, धार्मिक रूप से भड़काऊ, हिंसा/धरना-प्रदर्शन के लिए उकसाने वाली पोस्ट की जाती है तो तत्काल अवगत करायेंगे तथा पोस्ट करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराई जाए। संदिग्ध/घूमन्तू व्यक्तियों की चेकिंग कर, शहर से बाहर करने व आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों/सम्भ्रान्त व्यक्तियों के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु, प्रत्येक बीट/मजरा में सुरक्षा समिति की बैठक कर सुचारू रूप से संचालन करने, बैंको/एटीएम की सघन चेकिंग, रात्रि गस्त/पिकेट बढ़ाकर सतर्कता से ड्यूटी करने व एन्टी रोमियो टीम, साइबर हेल्पडेस्क, महिला/पुरूष हेल्पडेस्क व मा0 न्यायालय से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने व विवेचकों को समयबद्ध विवेचना निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। लूट/चैन स्नैचिंग के मुकदमों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने व जेल से छूटे आपराधियों का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में प्रभावी रात्रि गशत करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने, पीआरवी वाहनों की निरन्तर चेकिंग करने, संवेदनशील स्थानों

पर पीआरवी वाहनो की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया । अवैध अतिक्रमण , यातायात व्यवस्था, ई-रिक्शा संचालन से सम्बन्धित मार्गों का निर्धारण समय से कर लिया जाए। सभी चिन्हित प्रमुख चौराहों पर 50 मीटर से पहले किसी भी सवारी वाहन को नहीं खड़े होने दिया जाएगा । बस/टैक्सी स्टैण्ड के संचालन में किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत न प्राप्त हो यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो जांच करा कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

आगामी त्यौहारों धनतेरस व दीपावली के दृष्टिगत मिशन शक्ति 5.0 अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीमों की क्रियाशीलता निरंतर जारी रखने, छेड़छाड़, पीछा करने, उत्पीड़न या अन्य आपराधिक कृत्यों में संलिप्त शोहदों, मनचलों को चेतावनी के रूप में रेड कार्ड जारी किया जायें। यदि रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दोबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी । रेड कार्ड पाने वाले शोहदों का पूरा विवरण एंटी रोमियो टीम द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में नोट किया जाए । इसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए थानों में भी सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अवश्यकता पड़ने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी । मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में शारदीय नवरात्रि से अबतक जनपद की सभी एंटी रोमियो टीमों द्वारा 758 ग्राम/मोहल्ला चौपाल व 494 स्कूल/कालेजों/आंगनबाडियों (कुल 1252 स्थानों) पर पंहुचकर छात्राओं/महिलाओं से करीब 27,040 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 323 स्थानों को चिन्हित कर एण्टीरोमियों स्क्वाड द्वारा छात्राओं/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 1107 शोहदों/मनचलों को चेतावनी के रूप में रेडकार्ड जारी किया गया। तथा 141 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर 161 आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगों के निस्तारण तथा ईनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच०एस० खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर ज्यादा से ज्यादा गैंग रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होने अपराधिक कृत्य के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित की गयी है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। महोदय द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत चिन्हित वाद/मुकदमों की समीक्षा की गयी तथा नये मुकदमों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2025 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 111 अभियुक्तों के विरुद्ध 21 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 30 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 04 प्रकरण में अपराध से अर्जित की गयी 01 करोड़ 23 लाख 51 हजार 8 सौ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गयी है। नए कानून 107(1) बीएनएसएस के तहत अपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति 01 अदद चार पहिया XUV कार व 01 अदद एप्पल मोबाइल फोन (कुल कीमत 10 लाख रूपये) कुर्क /जब्त किया गया। 204 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 11 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी है । डी0जी0पी0 महोदय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोण्डा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या, लूट, नकबजनी आदि के 1096 अभियोगों में 1979 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है इनमें से 25 अपराधियों को आजीवन कारावास, 53 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास, 21 अपराधियों को 05 वर्ष से अधिक का कारावास और 1250 अपराधियों को 05 वर्ष से कम/अर्थदंड की सजा हुई है।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.10.2025

मिशन शक्ति के अंतर्गत 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष सश्रम कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.06.2021 को वादी द्वारा थाना को0 नगर में सूचना दी कि दिनांक 06/07.06.2021 की रात्रि में उसकी नाबालिग बेटी उमर 17 साल को विपक्षी राजू पाण्डेय उर्फ राज पुत्र अज्ञात नि0 चिलबिला खत्तीपुर थाना को0 देहात गोण्डा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह पुत्र प्रमोद कुमार नि0 मुण्डेरा(मुण्जेरवा) बुधेराजपुरवा थाना करनैलगंज, गोण्डा का नाम प्रकाश में लाया गया तथा राजू पाण्डेय उर्फ राज के विरुद्ध साक्ष्य न पाए जाने के कारण अभियोग से नामजदगी पृथक की गई। दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह को दिनांक 13.08.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 16.10.2025 को गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन (अभियोजक श्री अशोक कुमार सिंह, थाना को0 नगर के पैरोकार हेड मु0आ0 जनार्दन यादव व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीन आर्या) के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह को दोषसिद्ध करते हुए को 20 वर्ष का कारावास व रू0 40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-
01. गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह पुत्र प्रमोद कुमार नि0 मुण्डेरा(मुण्डेरवा) बुधेराजपुरवा थाना करनैलगंज, गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0-445/21, धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 16.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर आमजनमानस को कराया गया सुरक्षा का एहसास, संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए –

आज दिनांक 16.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में आगामी धनतेरस, दीपावली, छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गस्त कर आमजनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। महोदय द्वारा जनसंवाद कर शासन द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की।
साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सराफा एवं स्थानीय व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त बताया गया कि धनतेरस पर्व के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, प्रमुख चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किए गए हैं तथा पर्याप्त संख्या में पुरुष/महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गई है। संवेदनशील स्थलों पर सी0सी0टी0वी0/ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गई है। आवागमन के मार्गो, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।
स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों—ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य प्लेटफार्मों—पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी जाती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि धनतेरस पर्व के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक चौक, चौराहों व यातायात बिंदु पर पुलिस बल को तैनात करें, जिससे यातायात बाधित न हो सके।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, सीओ एलआईयू, प्र0नि0 को0 नगर श्री विवेक त्रिवेदी, प्रभारी यातायात सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा ।